

48/2021/O/o DM Bageshwar
1694/2021आदेश

उपजिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट के आधार जनपद, बागेश्वर के अंतर्गत बनलेख से स्वतंत्रता सयाम सेनानी श्री रामदत्त जोशी के घर तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.687 है० की दुगुनी 3.375 है० भूमि, जो ग्राम बदियाकोट, राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, बदियाकोट, तहसील, कपकोट के गैर ज० वि० खतौनी श्रेणी 9(3) ख(2) के खाता संख्या -110 खेत नम्बर 4319 मध्ये रकबा 3.375 है० भूमि को शासनादेश संख्या-2173 /2012 -18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या -8 बी/यू० सी० पी०/06/124/2018/ 2167 दिनांक 27/01/2021 में दी गयी शर्तों के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।

संख्या 1694 / छब्बीस-11 वन /2020-21 दिनांक 09 /06 /2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1. प्रभागीय घनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर,
2. उपजिलाधिकारी, कपकोट,
3. अधिशासी अभियंता, खण्ड लोक निर्माण, कपकोट,
4. तहसीलदार, कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक-एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग एवं प्राचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
41 बागेश्वर।

Digitally signed by VINEET
KUMAR

Date: Wed Jun 09 19:30:19 IST
2021

Reason: Approved

2021